न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 159/25 GCMS NO 2025/326

1. सीताराम पुत्र रामनिवास जाति ब्राहम्ण निवासी वीरपुर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. भोरया पुत्र काना जाति बैरवा निवासी वीरपुर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. शांति देवी पत्नि सियाराम
3. बालू पुत्र सियाराम
4. रामकिशन पुत्र सियाराम
5. राधाकिशन पुत्र सियाराम
6. जानकी पुत्री सियाराम
7. प्रेमनारायण पुत्र रामनिवास जातियान ब्राहम्ण निवासीयान वीरपुर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
8. सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार

रेस्पो0

(अपील विरूद्ध मु0नं0 1/2019 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.8.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार)

अभिभाषक अपीला0 श्री रमेश चंद गोयल

अभिभाषक रैस्पो0 कोई उपस्थित नही।

दिनांक 13.05.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 18.8.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद पत्र कुर्की से मुक्त करने तथा कब्जा दिलाने तथा स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि भूमि खसरा न0 95 रकबा 3 बीघा 18 विस्वा किस्म बारानी–1 ग्राम वीरपुर तहसील खण्डार को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 5000/–रूपये मे छीतर पि.मु.हाबूडया बैरवा निवासी वीरपुर तहसील खण्डार से विधिवत दिनांक 21.3.1985 को क्रय की थी। जिसका विक्रय पत्र उसी दिन उप पंजीयक खण्डार के यहाँ पंजीयन करा दिया था, तभी से उक्त भूमि पर वादी का निरन्तर कब्जा काश्त है। उक्त भूमि वादी के नाम खातेदारी मे दर्ज हो चुकी है। उक्त भूमि से प्रतिवादी 1 ता 5 का कोई सबंध किसी प्रकार का नही है। इस भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का कभी कब्जा नही रहा, इसके उपरान्त भी प्रतिवादी न0 2 ता 5 पिता रामनिवास ने उक्त भूमि को कुर्क कराने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर उक्त भूमि न्यायालय ए सी एम सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 28.8.96 को धारा 145 सीआरपीसी मे कुर्क करने का आदेश दिया था, जिसकी पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि कुर्की की हुई है जो अभी भी कुर्की मे है। वादी अनुसूचित जाति का कमजोर वर्ग का व्यक्ति है जबकि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 स्वर्ण जाति के व्यक्ति है । वादी की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को किसी प्रकार से अन्तरण नही हो सकती है। वादग्रस्त भूमि का धारा 145 सीआरपीसी प्रकरण संख्या 16/85

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

का निर्णय दिनांक 19.12.2001 को न्यायालय ए सी एम सवाई माधोपुर से हो चुका है जिसमे यह माना कि दोनो पक्ष अपने अपने हको का निर्धारण सक्षम न्यायालय से करावे तब तक उक्त भूमि रिसीवरी मे रहेगी। भूमि वादी की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की है तथा प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई सवंध किसी प्रकार का नही है उक्त भूमि की कुर्की से मुक्त कराकर रिसीवरी की जमा राशि वादी प्राप्त करने का अधिकारी है तथा उक्त भूमि का कब्जा वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त होने से भूमि पर तहसीलदार के कब्जे मे है। प्रतिवादी संख्या 1 से उक्त भूमि कुर्की से मुक्त करने तथा कुर्की की जमा राशि वादी को देने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी से कहा कि सक्षम न्यायालय का आदेश लेकर आओ तव कुर्की से मुक्त होगी। इस कारण वादी के लिए यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः वादी का वाद पत्र इस अमर का डिक्री फरमाया जावे कि वाद पत्र के चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि का वादी खातेदार काश्तकार होने से उक्त भूमि कुर्की से मुक्त की जावे तथा भूमि का कब्जा वादी को संभलवाया जावे तथा प्रतिवादी तहसीलदार के यहॉ कुर्की से प्राप्त राशि का भुगतान वादी को दिलाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को जरिये रजि0सम्मन तलब किया गया। रेस्पो0 बाबजूद सूचना के उपस्थित नही होने से बहस अपीलांट अभिभाषक की अपील पर एक पक्षीय सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अपीलार्थी एवं रेस्पो0 2 लगायत 6 रामनिवास अपीलार्थी के भाई के वारिसान है , रामनिवास के फौत होने से इनको रामनिवास के स्थान पर पक्षकार बनाया है। प्रतिवादी सूरजमल फौत हो जाने से व कोई वारिस नही होने से पक्षकार अपील नही बनाये है। प्रेमनारायण सीताराम के भाई है । रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 7 ने बाहर रहने अपीलार्थी के साथ मे पक्षकार बनने से मना करने के कारण रेस्पो0 बनाये गये है। आराजी खसरा न0 95 रकबा 3 बीघा 18 विस्वा स्थित ग्राम वीरपुर अपीलार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी रही है। लेकिन हाबूडया बैरवा को साझा बांटा मे कुछ वर्ष देने से हाबूडया के खातेदारी मे गलत दर्ज कर दी। जबकि कब्जा अपीलार्थी व रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 7 का ही रहा है। हाबूडया ने अपने गलत खातेदारी मे लग जाने का फायदा उठाकर बिना कब्जे के रेस्पो0 न0 1 को दिनांक 21.3.85 को बेच दी है। जबकि कब्जा अपीलार्थी का ही रहा है। रेस्पो0 न0 1 जब अपीलार्थी के कब्जे काश्त मे मजाहमत करने लगे तो अपीलार्थी व रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 7 के पिता बाबा रामनिवास द्वारा उक्त भूमि को कुर्क करवाने के लिए प्रार्थना पत्र ए सी एम खण्डार के यहॉ 145 व 146 (1) जा0फौ0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया , दिनांक 28.8.16 को कुर्क करने का आदेश दिया जब से उक्त जमीन कुर्की मे चली आ रही है। धारा 145 जा0 फौं0के प्रार्थना पत्र का दिनांक 19.12.2001 को प्रकरण संख्या 16/85 मे ए सी एम खण्डार के आदेश दिया कि अपना हक सिविल सक्षम न्यायालय से करावे तब तक उक्त जमीन कुर्की मे रहेगी। उक्त आदेश की निगरानी जिला जल साहब सवाई माधोपुर के यहॉ प्रस्तुत हुई। वहॉ भी एस सी एस टी न्यायालय ने उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

आदेश को बहाल रखा है तथा अपना स्वत्व व कब्जा सक्षम न्यायालय से कराने का आदेश प्रदान किया है। छीतर व भोरया के नाम नामा0 संख्या 370 दिनांक 18.6.81 तथा नामा0 संख्या 531 दिनांक 5.7.85 को उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर ने दिनांक 26.8.87 को केसिंल कर दिया इसलिए दोनो पक्षकारो के मध्य स्वत्व व कब्जा दोनो का विवाद विधमान है। अपीलार्थी व रेस्पो0 मे किसी ने सक्षम न्यायालय सिविल न्यायालय के समक्ष ए सी एम व विशिष्ठ न्यायाधीश सवाई माधोपुर के आदेशो की पालना अपने हक का निर्धारण करने के लिए कोई कार्यवाही नही की। बिना अपना हक निर्धारण कराये रेस्पो0 संख्या 1 ने उप जिला कलेक्टर खण्डार के यहॉ एक वाद पत्र कुर्की से वागुजारत कराने का रिसीवर से कब्जा प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत कर दिया जिसमे अपीलार्थी व रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 7 को नोटिस दिये एक तरफा मे दावा डिक्री कर दिया जो अवैध है तथा पूर्व मे दिये गये अदालतो द्वारा आदेशो का अपमान है। पूर्व मे अदालत मातहत द्वारा दिनांक 22.6.17 को यह आदेश भोरया के दावा मे दिया जा चुका है इसलिए जैर अपील आदेश रेसज्यूडिकेटा के सिद्वान्त के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त प्रकरण मे सम्मन अपीलार्थी को नही मिले इसलिए अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नही हो सके। अपीलार्थी अपने पुत्र के साथ उदयपुर काफी समय से रहता है। दिनांक 5.11.25 को रिश्तेदारो द्वारा जरिये फौन सूचना प्राप्त हुई तब उक्त आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 7.11.25 को प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 13.11.25 को प्राप्त हुई। इसलिए अपील जानकारी के आधार पर अन्दर मियाद पेश की है। अतःअपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

अपीलांट अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । जिससे यह तथ्य सामने आये कि नकल जमाबंदी सम्वत 2072—75 वाके ग्राम वीरपुर तहसील खण्डार की आराजी खसरा न0 95 रकबा 3 बीघा 18 विस्वा हाबूडया पुत्र बुद्वा जाति बैरवा की खातेदारी मे दर्ज रही है। जो प्रदर्श 1 से साबित है। हाबूडया की मृत्यु के उपरान्त विरासत का नामा0 छीतर के नाम खुलने पर वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी छीतर पुत्र हाबूडया के नाम दर्ज हुई है। वादग्रस्त आराजीयात को वादी भौरया पुत्र काना जाति बैरवा द्वारा खातेदार छीतर पुत्र हाबूडया से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद किया है। उक्त तथ्य उभयपक्ष का स्वीकृत तथ्य है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात को अपीलांट द्वारा हाबूडया को साझा बांटा पर दिये जाने पर हाबूडया के नाम गलत रूप से खातेदारी दर्ज कर दी गई। अपीलांट के उक्त की पुष्टि के सबंध मे पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है जिससे अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि हो सके। वादग्रस्त आराजीयात वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है जिसकी पुष्टि पत्रावली मे उपलब्ध रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से होती है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने ही एक तरफा मे निर्णय पारित किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट अर्थात प्रतिवादीगण की तलबी हेतु विधिवत रूप से रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये है। जिसमे अपीलांट सीताराम का नोटिस उसके भाई सूरजमल द्वारा प्राप्त किया गया है , नोटिस प्राप्तकर्ता सूरजमल अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार रहा है एवं अपीलांट का खास भाई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट बाबजूद जानकारी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है जिसके कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश विधिवत रूप से दिये गये है। वादी/रेस्पो0 संख्या 1 अनुसूचित जन जाति का सदस्य है एवं अपीलांट स्वर्ण जाति का व्यक्ति है। इस प्रकार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट का लम्बे समय से कब्जा काश्त है। यहॉ यह तथ्य समाचीन है कि कब्जे के आधार पर किसी प्रकार के अधिकार प्रदत्त नही किये जा सकते है। वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का रहा है जिसकी ताईद साक्ष्य शपथ पत्र रामनिवास पुत्र बंशी बैरवा व सीताराम पुत्र सुखेदव बैरवा से होती है। न्यायालय ए सी एम सवाई माधोपुर द्वारा वादग्रस्त आराजी से सबंधित प्रकरण संख्या 16/85 मे दिनांक 19.12.2001 को पारित निर्णय की निगरानी न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश(S.C.S.T.) सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 20.8.2002 के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात खसरा न0 95 रकबा 3 बीघा 18 विस्वा वाके ग्राम वीरपुर पर वादी का कब्जा माना है। इस प्रकार वादी अपने वाद पत्र को साबित करने मे सफल रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं माननीय विशिष्ट न्यायाधीश सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 20.8.2002 की रोशनी मे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नजर नही आने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार के प्रकरण संख्या 01/19 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.8.25 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.5.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

डिगरी वसीगे अपील

(ओ. 41 रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix G)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम सवाई माधोपुर

वइजलास श्री लक्ष्मीकांत बालोत आर.ए.एस.

सीताराम पुत्र रामनिवास जाति ब्राहम्ण निवासी वीरपुर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. भोरया पुत्र काना जाति बैरवा निवासी वीरपुर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. शांति देवी पत्नि सियाराम
3. बालू पुत्र सियाराम
4. रामकिशन पुत्र सियाराम
5. राधाकिशन पुत्र सियाराम
6. जानकी पुत्री सियाराम
7. प्रेमनारायण पुत्र रामनिवास जातियान ब्राहम्ण निवासीयान वीरपुर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
8. सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार

रेस्पो0

अपील संख्या 159/2025 निर्णय व डिक्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर खण्डार दिनांक 18.8.25 वाद पत्र कुर्की से मुक्त करने तथा कब्जा दिलाने तथा स्थाई निषेधाज्ञा। यह अपील संख्या 159/25 व तारीख 13.5.26 रूबरू हमारे व हाजिरी श्री रमेश चंद गोयल अभिभाषक मिन जानिब अपीलांट तथा रेस्पो0 कोई उपस्थित नही। अपीलांट अधिवक्ता की उपस्थिति मे हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर खण्डार के प्रकरण संख्या 01/19 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.8.25 की पुष्टि की जाती है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 13.5.2026 को जारी किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पो0	रूपये	पैस
स्टाम्प अपील	---	---	स्टाम्प वकालतनामा	---	---
स्टाम्प वकालतनामा	---	---	स्टाम्प अर्जी	---	---
इजराय हुक्मनामा	---	---	इजराय हुक्मनामा	---	---
वकील फीस बाबत	---	---	महन्ताना वकील	---	---